प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार आरंभ करने/ जारी रखने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र का फार्म

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अनुसार)

पावती सहित पंजीकृत डाक से /हस्त वितरण

कंपनी का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
पंजीकृत कार्यालय का पता

सेवा में

प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
केंद्रीय कार्यालय,
केन्द्र 1, दूसरी मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र,
मुंबई - 400 005

महोदय,

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार आरंभ करने /
जारी रखने* केलिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र

हम एतद्द्वारा, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हैं। अनुदेशों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज़/ सूचनाएं यहां प्रस्तुत हैं ।

2. हम प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार आरंभ करने /जारी रखने* के इच्छुक है । अतः हमारा अनुरोध है कि आप कृपया वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करें ताकि हमारी कंपनी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार आरंभ कर सके /जारी रख सके* ।

हम सत्य निष्ठापूर्वक यह घोषणा करते हैं कि इस आवेदनपत्र और उसके साथ लगे हुए अनुबंधों तथा संलग्न विवरणों में दी गयी सूचना हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य है । हमें यह ज्ञात है कि यहां पर दी गयी यदि कोई सूचना गलत /अपूर्ण /असत्य पायी जाती है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन रद्द किया जा सकता है और पंजीकरण प्रमाणपत्र यदि मंजूर कर दिया गया हो तो रद्द किया जा सकता है ।

भवदीय

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम :
पदनाम :
कंपनी की मुहर :

तारीख :
स्थान :
अनुलग्नक :. . .. पन्ने

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

अनुबंध-I

कंपनी की पहचान से संबंधित ब्यौरे

भाग-I

1.	कंपनी का नाम	:	
2.	निदेशकों की सूची	:	
3.	क्या कंपनी ने पहले कभी अपने नाम में परिवर्तन किया था ? यदि हां, तो पिछले प्रायोजकों के ब्यौरे दें । [कृपया अनुदेशों की मद (10) देखें]	:	हां / नहीं
4.	क्या कंपनी ने अपने प्रायोंजकों को बदला था ? यदि हां, तो पिछले प्रायोजकों के ब्यौरे दें ।	:	
5.	निगमन की तारीख	:	
6.	कारोबार शुरू करने की तारीख	:	
7.	राज्य का नाम, िजसमें कंपनी पंजीकृत है	:	----------
8.	कंपनी का पूरा पता (i) पंजीकृत कार्यालय ... ... फोन नं. ... ... फैक्स ... ... ई मेल		
	(ii) कारपोरेट / प्रशासनिक* कार्यालय ... ... फोन नं. ... ... फैक्स... ... ... ई मेल		
9.	हैसियत : (क) सरकारी(पब्लिक) (ख) निजी(प्रायवेट)	:	
10.	क्या कंपनी (क) 21 जून 2002 को प्रतिभूतिकरण / आस्ति पुनर्निर्माण का कारोबार कर रही है ? यदि हां, तो कब से (ऐसा कारोबार शुरू करने की तारीख) (ख) गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार सहित कोई अन्य कारोबार । यदि हां, तो कब से (ऐसा कारोबार शुरू करने की तारीख)	:	हां / नहीं
11.	यदि नियुक्त किये गये हों तो संविधिक लेखा परीक्षकों के नाम पता / पते फोन नं. / फैक्स	: : :	... ...
12.	सभी बैंकरों के नाम पता / पते फोन नं. / फैक्स	: : :	... ...
13.	क्या कंपनी या उससे सम्बद्ध पक्ष (पक्षों) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित किसी बैंक / किसी अन्य वित्तीय संस्थान से लिए गए किसी ऋण, अग्रिम या किसी अन्य ऋण सुविधा की चुकौती में कोई चूक की है ।	:	हां / नहीं
14.	यदि हां, तो पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जैसे ऋणदात्री संस्था का नाम तथा शाखा, सुविधा का प्रकार, अवधि अथवा चूक की मात्रा आदि	:	
15.	क्या कंपनी / उससे सम्बद्ध पक्ष ने मोचनीय डिबेंचरों / अधिमान शेयरों / जमाराशियों की चुकौती में कोई चूक की है ।	:	हां / नहीं

16.	यदि हां, तो ऐसी चूकों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें	:	
17.	क्या समूह की कोई कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है	:	हां / नहीं
18.	यदि हां, तो क्या उसने पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में आवेदन किया है	:	हां / नहीं
19.	यदि हां, तो क्या उसे पंजीकृत किया गया / रद्द किया गया	:	हां / नहीं
20.	यदि पंजीकृत किया गया हो तो पंजीकरण सं.	:	
	पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख	:	

भाग-II

प्रायोजक* / प्रायोजकों का शेयर धारिता पॅटर्न (कृपया अनुदेशों की मद 9 देखें)

क्र.	प्रायोजक का नाम तथा पता	धारित शेयरों की सं.	राशि	कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत	क्या नियंत्रण हित बनाए रखा है
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम :
परनाम :
कंपनी की मुहर :

दिनांक :
स्थान :

* जो लागू न हो उसे काट दें।

भाग-I **अनुबंध-II**

.... तक की स्थिति से संबंधित स्वाधिकृत निधि का विवरण

(कृपया अनुदेशों की मद सं. 11 देखें)

(लाख रु. में)

	मद	राशि रुपयों में
(i)	चुकता ईक्विटी पूंजी	
(ii)	अनिवार्य रूप से ईक्विटी में परिवर्तित किये जाने की सीमा तक चुकता अधिमान पूंजी	
(iii)	मुक्त आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों के अलावा) (क) सामान्य आरक्षित निधियां (ख) शेयर प्रीमियम आरक्षित निधि (ग) पूंजीगत प्रारक्षित निधियां (अलग खाते में रखा हुआ आस्तियों के विक्रय के बाद रोक रखे गये अधिशेष को दर्शाने वाली) (घ) डिबेंचर मोचन निधि (ङ) पूंजी मोचन निधि (च) लाभ-हानि लेखे में जमा शेष	
(iv)	(i) से (iii) का जोड़	
	घटाएं	
(v)	हानि का संचित शेष	
(vi)	आस्थागित राजस्व व्यय	
(vii)	अन्य अगोचर आस्तियां	
(viii)	निवेशों के मूल्य के संबंध में अल्प / कम प्रावधान करना [मद (xi)के अंतर्गत आने वाले निवेशों के अलावा]	
(ix)	अनर्जक आस्तियों / अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए अल्प / कम प्रावधान करना [मद (xi) के अंतर्गत आने वाले निवेशों के अलावा]	
(x)	आय का अति निर्धारण	
(xi)	प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी में अर्जित शेयरों का बही मूल्य	
(xii)	लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों से संबंधित अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट मदों के कारण अपेक्षित अन्य सभी कटौतियां	
(xiii)	जोड़ (v से xii तक)	
(xiv)	स्वाधिकृत निधि (iv - xiii)	

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)
नाम
पदनाम
कंपनी की मुहर

दिनांक :
स्थान :

* जो लागू न हो उसे काट दें।

लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

हमने मेसर्स .... लिमिटेड द्वारा .... तक की अपनी स्वाधिकृत निधि के संबंध में रखी गयी लेखा बहियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है और हम सू ित करते हैं कि स्वाधिकृत निधि के विवरण में दर्शाये गये आंकड़े हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा हमें दी गयी जानकारी/स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा परीक्षित अ िलेखों में दर्शाये अनुसार सही है ।

सनदी लेखाकार / सांविधिक लेखा परीक्षक*

दिनांक : ... ...

स्थान : ... ...

* प्रमाणपत्र पर, यदि नियुक्त किये गये हों तो, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं ।

अनुबंध-III

कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक,निदेशकों
तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी
के संबंध में सूचना

1.	नाम	:
2.	पदनाम	:अध्यक्ष / प्रबंधक निदेशक / निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी*
3.	राष्ट्रीयता	:
4.	आयु	:
5.	कारोबार का पता	:
6.	आवास का पता	:
7.	आय कर पैन नं.	:
8.	शैक्षणिक /व्यावसायिक अर्हताएं	:
9.	कारोबार / व्यवसाय	:
10.	अन्य कंपनियों के नाम, जिनमें उक्त व्यक्ति अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर रहा है ।	:
11.	(i) क्या वह अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी सहित किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ प्रायोजक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष अथवा निदेशक के रूप में सम्बद्ध है (ii) यदि हां, तो कंपनी / कंपनियों के नाम (यदि आवश्यक हो तो अलग पत्रक जोड़ा जाये)	:
12.	(i) क्या उस पर या तो वैयक्तिक क्षमता में या किसी फर्म / कंपनी के साझेदार / निदेशक के रूप में नैतिक भ्रष्टता या किसी आर्थिक अपराध में शामिल होने के लिए मुकदमा चलाया गया / दोषी पाया गया है । (ii) यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें ।	:
13.	(i) क्या किसी कंपनी में निदेशक होने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पूर्व में उन पर रोक लगायी गयी है (ii) यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें	:
14.	(i) क्या किसी कंपनी का निदेशक होने के लिए उसे पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उसे अयोग्य ठहराया गया था (ii) यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें	:
15.	वित्त, प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्निर्माण के क्षेत्र का अनुभव (ब्योरा) (यदि आवश्यक हो तो अलग पत्रक जोड़ा जाये)	
16.	आवेदक कंपनी में ईक्विटी शेयर धारिता (i) शेयरों की संख्या (ii) अंकित मूल्य (iii) कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत	:
17.	क्या किसी प्रायोजक का नामिती या उसके साथ सम्बद्ध है	:
18.	सभी बैंक ब्यौरे : खाता संख्या, सभी बैंकरों के नाम और पते	:
19.	क्या उसने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित किसी बैंक / किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण, अग्रिम या किसी अन्य ऋण सुविधा की चुकौती में कोई चूक की है	:
20.	यदि हां, तो पूरे ब्यौरे, जैसे ऋणदात्री संस्था का नाम तथा शाखा, सुविधा का प्रकार और चूक की मात्रा आदि, प्रस्तुत करें ।	

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण तथा सत्य है ।

कंपनी के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर :

नाम : ... ...
पदनाम : ... ...
कंपनी की मुहर :----------

दिनांक : ... ...
स्थान : ... ...

* लागू न हो उसे काट दें

अनुबंध IV

कंपनी के प्रायोजक/प्रायोजकों से संबंधित जानकारी

1.	नाम	:
2	कारोबार का पता	:
3	आवास का पता	
4	आय कर पैन नं.	:
5	कारोबार / व्यवसाय	:
6	बैंक खाता संख्या., बैंकरों के नाम तथा पते	:
7	क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित किसी बैंक /किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिये गये किसी ऋण, अग्रिम में या किसी अन्य ऋण सुविधा के संबंध में चुकौती में कोई चूक की है ।	: हां/नहीं
8	यदि हां, तो पूरे ब्योरे अर्थात ऋणदात्री संस्था का नाम तथा शाखा, सुविधा का प्रकार, चूक की अवधि तथा मात्रा आदि, प्रस्तुत करें ।	:
9	क्या कंपनी / सहायक कंपनी / उसी समूह की अन्य कंपनियों ने मोचनयोग्य डिबेंचरों / अधिमान शेयरों / जमाराशियों की चुकौती में कोई चूक की है ।	: हां/नहीं
10	क्या उसके संस्था के बहिर्नियमों तथा संस्था के अंतर्नियमों के उद्देश्य खंड में प्रतिभूतिकरण कंपनी अथवा पुनर्निर्माण कंपनी में निवेश करने की अनुमति दी गयी है ।	: हां/नहीं
11	पुनर्निर्माण कंपनी या प्रतिभूतिकरण कंपनी में निवेश की सीमा	
	(i) शेयरों की संख्या (ii) अंकित मूल्य (iii) कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत	
12	क्या प्रायोजक कंपनी नियंत्रक कंपनी है / या प्रस्तावित कंपनी पर नियंत्रक हित हैं	:

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण तथा सत्य है ।

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
कंपनी की मुहर :

दिनांक :
स्थान :

अनुबंध V

संबंधित पक्षों से संबंधित जानकारी

1. संबंधित पार्टी का नाम :
2. पूरा पता :
3. कारोबार :
4. स्थिति : (क) वैयक्तिक फर्म (ख) सरकारी लिमिटेड कंपनी / निजी लिमिटेड कंपनी
5. आवेदक कंपनी के साथ सम्बन्ध :

6. **ऋण आदि जोखिम के ब्योरे**

मद	**राशि (लाख रुपयों में)**
पूंजी शेयरों, बांडों / डिबेंचरों में निवेश	
बकाया ऋण तथा अग्रिम	
जमाराशियां	
जोड़	

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण तथा सत्य है ।

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
कंपनी की मुहर :

दिनांक :
स्थान :

आवेदन फॉर्म के साथ अनुबंध के रूप में लगाये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

1. कंपनी की पहचान से संबंधित विवरण (अनुबंध I)
2. स्वाधिकृत निधि का विवरण (अनुबंध II)
3. प्रबंधन के बारे में सूचना (अनुबंध III)
4. प्रायोजक/प्रायोजकों के बारे में सूचना (अनुबंध IV)
5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानकों तथा दिशा-निर्देश नोटों में परिभाषित अनुसार संबंधित पार्टियों से संबंधित सूचना
6. कंपनी के बहिर्नियमों तथा अंतर्नियमों की अद्यतन प्रमाणित प्रतिलिपि (जिसमें इस आशय का प्रमाण दिया हो कि कंपनी केवल प्रतिभूतिकरण / आस्ति पुनर्निर्माण कारोबार के प्रयोजन के लिए बनायी गयी है) ।
7. निगमन प्रमाणपत्र तथा कारोबार शुरू करने के प्रमाणपत्र (यदि सरकारी लिमिटेड कंपनियां हो तो) में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
8. निदेशक मंडल के प्रत्येक संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें (i) विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन और उसकी विषय-वस्तु तथा प्राधिकृत अधिकारियों के नामों का अनुमोदन किया गया हो (ii) यह कहा गया हो कि कंपनी ने कोई जमाराशि (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ (ख ख) में परिभाषित अनुसार) स्वीकार नहीं की है / स्वीकार की गयी जमाराशि की संविदा के अनुसार चुकौती की जायेगी तथा कंपनी ने अभी तक जमाराशियों / उन पर ब्याज की चुकौती में चूक नहीं की है, (iii) यह कहा गया हो कि कंपनी के निदेशकों को वित्त, प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण से संबंधित मामलों का पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव है अथवा नहीं (iv) यह कहा गया हो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किये जाने वाले निदेशकों में से कोई भी निदेशक अपात्र नहीं है और (v) यह कहा गया हो कि कंपनी यदि आवेदन की तारीख को या उससे पहले, अधिनियम में परिभाषित अनुसार प्रतिभूतिकरण / आस्ति पुनर्निर्माण के कारोबार के अलावा कोई अन्य कारोबार कर रही थी और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण मंजूर कर दिया जाता है तो वह 20 जून 2003 तक वह कारोबार बंद कर देगी (प्रतिभूतिकरण का वह कारोबार करना, जो उक्त अधिनियम की धारा 2(1) य क में प्रतिभूतिकरण की परिभाषा में नहीं आता है, तो वह 'अन्य कार्यकलाप' में आयेगा)
9. निदेशक मंडल के इस आशय के संकल्प की प्रमाणित प्रति तथा लेखापरीक्षक का मूल प्रमाणपत्र कि :
   (i) कंपनी ने पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से किसी भी वित्तीय वर्ष में हानि नहीं उठायी है; (केवल वर्तमान कंपनियों के लिए)
   (ii) कंपनी ने प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्निर्माण के अलावा कोई अन्य कारोबार नहीं किया है / नहीं करेगी (केवल वर्तमान कंपनियों के लिए),
   (iii) प्रायोजकों में से कोई प्रायोजक किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की नियंत्रक कंपनी नहीं है या इसके ऐसी किसी अन्य प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी पर अन्य प्रकार से उसका नियंत्रण नहीं है;
   (iv) कंपनी के निदेशक मंडल में उसके निदेशकों की कुल संख्या के, जो या तो किसी प्रायोजक के नामिती हैं, या प्रायोजक के साथ अथवा अपनी किसी सहयोगी संस्था से सम्बद्ध हैं, आधे से अधिक निदेशक नहीं होने चाहिए;
10. निदेशक मंडल को रिपोर्ट द्वारा यह स्पष्ट करना होगा कि कंपनी ने प्रतिभूतिकरण / आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु अर्जित वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं और कंपनी विनिर्दिष्ट /पात्र संस्थागत क्रेताओं या अन्य व्यक्तियों को संबंधित नियत तारीखों को अपनी वचनबद्धताएं पूरी करेगी ।
11. लाभ और हानि लेखे तथा लेखा परीक्षित तुलनपत्र की एक प्रति पिछले 3 वर्षों अथवा उपलब्ध लघुतर अवधि की (केवल वर्तमान कंपनियों के लिए) ।
12. निम्नलिखित के संबंध में ब्योरा देते हुए कंपनी के कारोबार की योजना :
   (क) कारोबार का उद्देश्य;
   (ख) अधिगृहीत की जाने वाली वित्तीय आस्तियों की प्रस्तावित राशि;
   (ग) बाजार खंड;
   (घ) निवेश तथा आय का प्रक्षेपण;
   (ङ) वित्तीय आस्तियों तथा देयताओं का विवरण; और
   (च) संगठनात्मक ढांचा

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

अनुदेश

(आवेदनपत्र का फॉर्म इन अनुदेशों के अनुसार विधिवत भरा हुआ होना चाहिए)

सामान्य

1. आवेदन केवल इसी फॉर्म में किया जाना चाहिए । जहां कहीं जगह अपर्याप्त हो, अलग पत्रक/पत्रकों में सूचना प्रस्तुत की जाये ।
2. विधिवत भरे गये आवेदन पत्र, अनुलग्नकों सहित गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, केंद्र -I, दूसरी मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई - 400 005 को 20 मार्च 2003 को या उससे पहले दो प्रतियों में प्रस्तुत करें ।
3. अनुलग्नकों/अनुबंधों सहित प्रस्तुत आवेदन की फोटोप्रति कंपनी के पास उसके रिकार्ड के लिए रखी जाये ।
4. आवेदन पत्र निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए (अर्थात् अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ कंपनी सचिव, जिन्हें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) ।
5. आवेदन पर कंपनी की मुहर लगी होनी चाहिए ।
6. आवेदन प्रस्तुत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक से पावती प्राप्त की जाये ।
7. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार स्वाधिकृत निधि का विवरण ।

अनुबंध I

8. 'प्रायोजक' वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में यथा परिभाषित ।
9. ''नियंत्रण'' में बहुमत निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार या अपनी शेयर धारित या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करारों या मतदान करारों या किसी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधन पर नियंत्रण रखना या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीतिगत निर्णय लेना शामिल हैं ।
10. यदि कंपनी ने अपने नाम में पहले परिवर्तन किया हो, तो कंपनी के पिछले सभी नामों और परिवर्तन की तारीखों की सूची और नाम में परिवर्तन करने के समय में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम प्रस्तुत करें ।

अनुबंध II

11. आवेदन के अनुबंध II में प्रस्तुत किये जाने वाले ब्यौरे/सूचना अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र में प्रकट किये गये अनुसार आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए । तथापि, 21.6.2002 को या उसके पश्चात निगमित कंपनी से संबंधित ब्योरे/सूचना आवेदन की तारीख से अधिकतम 30 दिन पहले आने वाली तारीख के तुलन पत्र पर आधारित होनी चाहिए ।
12. 'मुक्त आरक्षित निधि' में, तुलन पत्र में दर्शायी गयी तथा लाभों में से आबंटन से सृजित आरक्षित निधियां शामिल हैं परंतु उसमें (क) किसी भावी देयता की चुकौती के

    लिए या आस्तियों के मूल्यह्रास के लिए या अशोध्य ऋणों हेतु निर्माण की गयी आरक्षित राशियां या (ख) कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यन से सृजित आरक्षित राशियां शामिल नहीं होनी चाहिए ।
13. 'सम्बद्ध पक्ष' का आशय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों तथा मार्गदर्शी नोटों के अनुसार सम्बद्ध पक्षों से है ।
14. अनर्जक आस्तियों के लिए निवेशों के मूल्य में अल्प / कम प्रावधान करना और आय का अति निर्धारण सांविधिक लेखा-परीक्षकों/आंतरिक लेखा परीक्षकों/ रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी द्वारा अभिनिर्धारित किये गये अनुसार होगा ।
15. अनुबंध II की विषय-वस्तु सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए ।

अनुबंध III

16. कंपनी के प्रायोजक, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित सूचना कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा आवेदक कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए ।
17. इस फॉर्मेट में ऐसे प्रत्येक कार्यकर्ताओं का अलग फॉर्म प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

अनुबंध IV

18. प्रायोजकों में से प्रत्येक के संबंध में अलग फॉर्म प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

अनुबंध V

19. प्रत्येक संबंधित पार्टी के संबंध में अलग फॉर्म प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
20. अनुबंध II में दिये गये अनुसार विवरण/सूचना पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख के आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए ।

*****